फर्द अहकाम (नियम 26)

रामनाथ बनाम प्रेमप्रकाश

मुकद्मा नम्बर 545/2016 अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हु

23.06.2017 वकील उभय पक्ष उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 122/2000 में दिनांक 17.10.2005 को निर्णय किया था निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील दायर होनें पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा निर्णय दिनांक 24.07.2006 के द्वारा अपील को खारिज की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 24.07.2006 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील दर्ज होनें पर अपील में दिनांक 02.06.2016 को निर्णय किया जाकर अपील स्वीकार की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2016 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. रिट संख्या 8065/2016 पेश हुई जो वर्तमान में विचाराधीन है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 19.10.2016 के अनुसार रिट के निर्णय तक कार्यवाही को स्थगित किया गया है।

प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होनें के कारण प्रार्थना 144 सी.पी.सी. में कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। चुँकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 144 सी.पी.सी. को रिट संख्या 8065/2016 के निर्णय के पश्चात ही रिट के निर्णयानुसार ही निस्तारण किया जा सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिंनाक 23.06.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

A/3